

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स 2/स्थाईकरण/टोक/टी-598/2019/

दिनांक

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 222 दिनांक 08.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (राशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै ग्रेडिक्स लेवल एल 11 में न्यूनतम वेतन 37800/ एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्था पन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	आशा शर्मा	टोक	15.08.1985	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018

२१

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई 11/नर्सिंग/नर्स 2/स्थाईकरण/टोक/टी 598/2019/465 दिनांक 9-05-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोग अजमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सीएचसी/पीएसी।
5. कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर